202

-1-

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../.............../........................ निग - 2404 I-16

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - छोटेलाल गौंड़ उम्र 72 वर्ष पिता स्व.श्री परशुराम गौंड़ निवासी ग्राम देवरी तहसील व जिला जबलपुर।

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. श्री बृजेन्द्र कुमार केशरवानी पिता किशनलाल केशरवानी निवासी ग्राम बरेला तहसील व जिला जबलपुर ।

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 377/अ-21/2012-13 में पारित अंतरिम आदेश दि. 11/07/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत् यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री छोटेलाल गौंड़ उम्र 72 वर्ष पिता स्व.श्री परशुराम गौंड निवासी ग्राम देवरी तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम परतला प.ह.नं. 55/85 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 270 रकबा 0.49 हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री बृजेन्द्र कुमार केशरवानी पिता किशनलाल केशरवानी निवासी ग्राम बरेला तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 13/09/2013 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण में नायब तहसीलदार खम्हरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ-21/13-14 में प्रतिवेदन दि. 30/04/2014 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 1.80 हेक्टेयर भूमि देवरी में शेष बचेगी तथा 4.15 हे.भूमि ग्राम जबेरा में खरीदी है इस प्रकार कुल 5.95हे.भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है एवं असिंचित है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि सिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

4. तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 252/अ-21/12-13 में प्रतिवेदन दि. 24/05/2014 (Annexure-4) के माध्यम से अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर जबलपुर को अग्रेषित किया गया है।

5. प्रकरण में छोटेलाल गौंड़ एवं अनावेदक श्री बृजेन्द्र केशरवानी द्वारा स्वयं कलेक्टर जबलपुर के समक्ष में उपस्थित होकर दि. 11/07/2016 को तर्क पेश किये गये। प्रकरण में तहसीलदार के प्रतिवेदन में आवेदित भूमि के मूल्य की गणना गाइड लाइन वर्ष 15-16 को आधार मानकर किये जाने के कारण कलेक्टर जबलपुर द्वारा अंतरिम आदेश दि. 11/07/2016 के द्वारा मूल जांच प्रकरण पुनः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर को वर्ष 2016-17 की प्रचलित गाइड लाइन के आधार पर मूल्यांकन किये जाने हेतु वापिस भेजने का अंतरिम आदेश दिया गया है। जबकि आवेदक द्वारा समक्ष में मौखिक रूप से कलेक्टर जबलपुर को अवगत कराया गया था कि अनावेदक गैर आदिम जनजाति सदस्य वर्तमान गाइड लाइन में यदि भूमि की कीमत अधिक होगी तो तद्नुसार गाइड लाइन वर्ष 2016-17 के अनुसार आवेदक आदिवासी को भूमि की कीमत का भुगतान किया जायेगा। परंतु कलेक्टर जबलपुर उक्त निवेदन पर कोई सुनवाई नहीं की गई तथा प्रकरण दिनांक 19/09/2016 को अनुविभागीय अधिकारी के पुनः प्रतिवेदन हेतु नियत किया गया है।

6. कलेक्टर जबलपुर द्वारा की गई उक्त कार्यवाही का अंतरिम आदेश दिनांक 11/07/2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका मानूनीय न्यायालय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण में अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों की

छोटेलाल

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

20 JUL 2016

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2407–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–7–16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 377/अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 11–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा परतला प.ह.नं. 55/85 रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 270 रकबा 0.730 हैक्टर को अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री बृजेन्द कुमार केशरवानी को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को पुनः इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि	

निग० - 2407- I/16 ऊवगम्बुत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	वे वर्तमान गाइड लाइन वर्ष 2016–17 के आधार पर भूमि के मूल्य की गणंना कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । उनका यह भी कहना है कि जिलाध्यक्ष ने वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन के अनुसार भूमि की गणना कर प्रतिवेदन देने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए हैं जबकि आवेदक द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष नियत पेशी को उपस्थित होकर मोखिक रूप से यह निवेदन किया गया था कि वे वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होने के उपरांत ही भूमि का विक्रय करेंगे । केताओं द्वारा भी इसी प्रकार का कथन किया गया था किंतु इस ओर कलेक्टर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और पुनः प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत करने के आवेदक द्वारा 0.240 हैक्टर भूमि आदिम जनजाति के व्यक्ति को विक्रय करदी गई है तथा केता का नामांतरण होकर बटांकन हो गया है अब आवेदक के पास खसरा नं. 270/1 रकबा 0.490 हैक्टर भूमि शेष बचती है अतः अब आवेदक इतनी ही भूमि विक्रय करना की अनुमति चाहता है । मेरे द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि, भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास कय करने के उपरांत आई है । भूमि विकय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । में आवेदक पर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2407–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दबाव/प्रलोभन नहीं है । उक्त भूमि विकय के उपरांत आवेदक के पास 1.08 हैक्टर भूमि शेष बचेती तथा इसके अलावा उसने 4.15 हैक्टर भूमि जवेरा में खरीदी है । जिलाध्यक्ष द्वारा 2016–17 की गाइड लाइन के आधार पर गणना करने के निर्देश दिए गए हैं । चूंकि आवेदक द्वारा अपने तर्कों में यह बात कही गई है कि वे वर्तमान गाइड लाइन 2016–17 के अनुसार या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होने पर ही भूमि का विकय करेंगे और केतागण वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार मूल्य देने को सहमत हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा परतला प.ह.नं. 55/85 रा0नि0मं0 खम्हरिया तहसील जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 270/1 रकबा 0.490 को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केतागण द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।	

निग0-2407-I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3— भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	